(76)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना –2021 की समीक्षा

Master Plan Review–2021

OFFICE OF THE DIR (Plg.) MPR TC, D.D.A. N. DELHI-2 Dy.No. 2627 Dated 7/5

पंजीकरण फार्म

REGISTRATION FORM

"ओपन हाउस मीट्स"

"OPEN HOUSE MEETS"

Related to P-I & II

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए Form to be filled by Participant	
नाम Name	DELHI GRAM SUDHAR Maha Sabha (360)
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	(i) Sh. Ram Niwas Sahrawat G. Secy. (ii) Sh. Jagdish Singh Tanwar Secy. RWA
वर्तमान स्थिति Present Position	(i) General Secy. (ii) Secy.
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	25776269 9811453570, 9990566788
फैक्स : Fax :	—
ई–मेल E-mail	—
पता : Address :	WZ-548B/3 Naraina Gaon N. Delhi-110028
हस्ताक्षर : Signature :	[signature] [signature]
तिथि : Date :	30-4-12

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं

"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

(76)

पंजी० सं० S-59990

भारत सरकार द्वारा संप्रतीक और नाम अधिनियम 1950 के अतंर्गत स्वीकृत

दिल्ली ग्राम सुधार महासंभा (360)

द्वारा संचालित

(दिल्ली ग्राम विकास पंचायत)

W.Z 548 B/3 नरायणा-गांव नई दिल्ली-110028
फोन : 25776269

चौ० गजेन्द्र सिंह मोलंकी
प्रधान
9811953942

डॉ० रामनिवास सहरावत
महासचिव
9811453570

क्रमांक.....

दिनांक..... 30.4.2012

श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय,
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
विकास सदन, आई.एन.ए.,
नई दिल्ली-110023.

विषयः दिल्ली के गॉवों के हितों की रक्षा हेतू दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में संशोधन हेतू एक्सपर्ट कमेटी को सुझाव

मान्यवर,

उपरोक्त विषय पर निवेदन है कि दिल्ली सरकार ग्रामसभा की जमीनों पर खत्ता डाल कर तथा "राजीव रत्न आवास योजना" के अन्तर्गत झुग्गी-झोपड़ीवासियों के लिए फ्लैटों का निर्माण करके बड़े ही सुनियोजित ढंग से गॉवों की हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत को तहस-नहस कर देना चाहती है। इस संबंध में अनेकों प्रतिवेदन सरकार को भेजे गये थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपने अड़ियल रवैये के कारण ग्रामीणों के हितों की उपेक्षा जानबूझ कर करना चाहती है।

वास्तव में, ग्राम सभा की खाली पड़ी जमीनों का उपयोग गॉवों की भलाई के लिए ही होना चाहिये। इन जमीनों पर फलदार बाग-बगीचे लगा कर पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है या फिर इन पर हस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, औषधालय, खेल-कूद का मैदान व स्टेडियम, पार्क आदि बनने चाहिये। गॉववासियों को रिहायशी प्लाट भी मिलने चाहिये। गॉवों की आबादी कई गुना बढ चुकी है लेकिन उन्हें रिहायशी भूखण्ड आवंटित ना करके उन पर झुग्गियॉ बसाने का बेवकूफाना फैसला सरकार ने लिया है।

गॉव की सम्पतियों से गृहकर से पूर्णतया छूट, दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 81 को खारिज करना, फिरणी रोड़ से डेढ किलोमीटर तक की परिधी में बने सभी मकानों की गॉव की स्वाभाविक रूप से बढी आबादी मान कर लाल डोरा के समान सभी सुविधाऐं प्रदान करना, गॉव के गरीब परिवारों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाना, भूमिहीनों को 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत आवंटित रिहायशी व कृषि योग्य भूमि का मालिकाना हक प्रदान करना, शहरीकृत व ग्रामीण क्षेत्र के गॉवों में मकान बनाने के लिए भवन-निर्माण नीति में छूट आदि-आदि मांगें सरकार की ग्रामीण विरोधी नीतियों के कारण लम्बित पड़ी है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये मास्टर प्लान-2021 में संशोधन हेतू बनी एक्सपर्ट कमेटी से हमारा अनुरोध है कि दिल्ली के गॉवों को "कूड़ाघर" बनाने के बजाय उनकी बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर व प्राचीन पहचान बनाये रखने तथा उनके योजनाबद्व विकास के लिए निम्नलिखित प्रावधान किये जायें :-

1. दिल्ली के सभी 364 गॉवों (136 शहरीकृत तथा 228 ग्रामीण) को दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्धारित भवन निर्माण नीति से पूर्णतया मुक्त रखा जाये और इस संबंध में दिल्ली नगर निगम को केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को अविलम्ब वापिस लिया जाये।
2. जिन शहरीकृत गॉवों में चकबन्दी नही हो पाई थी तथा मजबूरीवश परिवार बढने के कारण कृषि भूमि पर निर्मित मकानों को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम-1954 की धारा 23(3) के अन्तर्गत लाल डोरा घोषित करके नियमित किया जाये। इस संदर्भ में, सभी गॉवों के फिरणी रोड़ से डेढ किलोमीटर तक की परिधी में बने सभी मकानों की गॉव की स्वाभाविक रूप से बढी आबादी मान कर लाल डोरा के समान सभी सुविधाऐं प्रदान की जायें।
3. शहरीकृत व दिल्ली देहात के गॉवों के निवासियों को उनके मकानों का मालिकाना हक दिया जाये तथा उन्हें लाल डोरे का प्रमाण-पत्र एक सरल प्रक्रिया के द्वारा दिया जाये।

भारत सरकार द्वारा संप्रतीक और नाम अधिनियम 1950 के अतंर्गत स्वीकृत पंजी० सं० S-59990

दिल्ली ग्राम सुधार महासभा (360)

द्वारा संचालित

(दिल्ली ग्राम विकास पंचायत)

W.Z 548 B/3 नरायणा-गांव नई दिल्ली-110028
फोन : 25776269

चौ० गजेन्द्र सिंह सोलंकी
प्रधान
9811953942

डॉ० रामनिवास सहरावत
महासचिव
9811453570

क्रमांक.....

दिनांक.....

4. दिल्ली देहात के सभी गाँवों को मैट्रो रेल से जोड़ा जाये। बड़े खेद का विषय है कि दिल्ली मैट्रो रेल का विस्तार दिल्ली से बाहर गाजियाबाद, नोयडा, गुड़गाँव व फरीदाबाद तक तो कर दिया गया है लेकिन दिल्ली के गाँवों को इस सुविधा से अभी तक पूर्णतया वंचित रखा गया है। बवाना, नरेला, टीकरी आदि गाँवों में बड़े-बड़े औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण कर दिया गया है अतः मैट्रो रेल का विस्तार सिंघू बार्डर, लामपुर बार्डर, औचन्दी बार्डर, टीकरी बार्डर, नजफगढ-ढांसा बार्डर, घुम्मनहेड़ा बार्डर आदि तक होना जरूरी हो गया है।

5. चूंकि एन.सी.आर. बोर्ड का गठन हो चुका है अतः बवाना गाँव से सैनेटरी लैंडफिल को हटा कर एन.सी.आर. में बनाया जाये जिससे किसी को भी तकलीफ न हो।

6. प्रत्येक गाँव के चारो ओर कम-से-कम 20-25 एकड़ जमीन बच्चों के खेलने तथा परम्परागत मेलों व दंगलों के आयोजन हेतू, सामाजिक त्यौहार जैसे रामलीला व दशहरा आदि मनाने तथा अन्य इसी प्रकार के आयोजनों हेतू उपलब्ध करवाई जाये। बदलते परिवेश में गाँव की सीमा निर्धारित करने के लिए प्रत्येक गाँवों के चारों ओर 30 मीटर के एक फिरणी रोड़ का निर्माण किया जाना आवश्यक हो गया है।

7. प्रत्येक गाँव में बड़े-बड़े पार्क बनाये जाने चाहिए एवं बागों और वनों के सरंक्षण हेतू पर्याप्त भूमि उपलब्ध करवाई जाये। इस हेतू प्रत्येक गाँव में ग्राम सभा की काफी भूमि उपलब्ध है।

8. ग्रामसभा की भूमि का इस्तेमाल केवल गाँववासियों को अधिकतम सुविधाऐं प्रदान करने हेतू होना चाहिये। इस भूमि का उपयोग स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों आदि के निर्माण एवं भूमिहीन ग्रामवासियों को रिहायशी भूखण्ड प्रदान करने हेतू होना चाहिये। गाँवों के आसपास जे0जे0 कालोनी हरगिज-हरगिज न बसाई जाये क्योंकि इससे गाँवों की संस्कृति दूषित हो रही है।

9. दिल्ली देहात में दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज खोलने हेतू, पूसा कृषि संस्थान, एन0सी0ई0आर0टी0, एम्स, आई0आई0टी0 आदि शैक्षणिक व शोध-संस्थानों के कैम्पस स्थापित करने के लिए कम-से-कम 1000 एकड़ अथवा इससे अधिक आवश्यक भूमि उपलब्ध करवाई जाये ।

हमें आशा ही नही वरन् विश्वास है कि दिल्ली के गाँवों के योजनाबद्ध विकास हेतू उपरोक्त सुझावों पर अमल करके मास्टर प्लान-2021 में आवश्यक संशोधन किया जाये ताकि दिल्ली के सभी गाँवों का हर प्रकार से भला हो सकें।

भवदीय,

रामनिवास सहरावत
महासचिव

प्रतिलिपि सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषितः-

(1) डा0 मनमोहन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001.
(2) श्रीमती शीला दीक्षित, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली - 110002.
(3) श्रीमान उपायुक्त (राजस्व), (उत्तर-पश्चिम जिला), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, गाँव कंझावला, दिल्ली - 110081
(4) श्रीमान मुख्य संवाददाता, दैनिक जागरण, 302, वर्धमान प्लाजा, डी-14, सैन्ट्रल मार्केट, प्रशान्त विहार (बाहरी रिंग रोड़), दिल्ली-110085 को इस निवेदन के साथ कि वे कृपया अपने समाचार-पत्र में उपरोक्त को उचित स्थान देकर गाँवों की मूल पहचान को बनाये रखने में मदद करें।